निर्देशक की रिपोर्ट

श्वेतधारा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

निदेशकों को 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए श्वेतधारा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते, तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है।

कंपनी का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कंपनी के रूप में 25 अप्रैल, 2016 को उत्तर प्रदेश राज्य में दूध एवं दूध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबन्धित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया था ।

वित्तीय परिणाम: -

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन नीचे संक्षेप में है:

(रुपया में राशि)

विवरण	**31 मार्च 2018 को समाप्त हुये वर्ष के लिए (राशि रुपयों में)**	**31 मार्च 2017 को समाप्त हुये वर्ष के लिए (राशि रुपयों में)**
ऑपरेशन से राजस्व	83,087,950/-	7,237,220/-
अन्य आय	6,174,278/-	4,128,585/-
कुल आय	89,262,229/-	11,365,805/-
कुल व्यय	89,262,229/-	11,365,805/-
कर से पहले लाभ / (हानि)	-	
कर व्यय	11022/-	-
कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)	(11,022)	-
सीमित रिटर्न (लाभांश) [लाभांश के वितरण पर कर सहित]	-	-
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-

कंपनी के मामलों का विवरण: -

अवधि के दौरान कम्पनी की कुल बिक्री (टर्नओवर) 89,262,229 / - रु रही, जिसमें 83,087,950 / - संचालनात्मक राजस्व तथा 6,174,278 / रु अन्य आय शामिल है। अवधि के दौरान कुल व्यय 89,262,229 / -रु रहा।

संचालन की समीक्षा: -

दूध की खरीद:

कंपनी की दूध खरीद संचालन गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जारी रहा और 31 मार्च 2018 तक 2 बीएमसी के माध्यम से 94 गावों में 94 एमपीपी (मिल्क पूलिंग पॉइंट्स) स्थापित कर

दूध संकलन का काम किया गया । वर्ष के दौरान, कंपनी ने 2584486 लीटर कच्चे दूध की खरीद की है।

वित्तीय वर्ष के अंत तक 3038 सदस्यों ने सदस्यता ली जिसमें से 2845 सदस्यों ने दूध की आपूर्ति कर इस प्रकार सदस्यों ने कंपनी के कामकाज में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेत कंपनी की विकास गाथा की शुरुआत को दर्शाता है जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों के विषयगत सहायता और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। सक्रिय सदस्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 मार्च 2017 से 28 फरवरी 2018 की अवधि के लिए योग्य सदस्यों को उनके संरक्षण के अनुपात में 1,81,126 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में कंपनी ने वितरित किया है । यह संकेत कम्पनी के विकास की शुरूआत की पुष्टि करता है, जो निश्चित रूप से आने वाले सालों में सक्रिय सदस्यों के बीच आपसी सहायता को बढ़ावा देगा।

आपूर्ति किए जाने वाले दूध के लिए कम्पनी अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी एवं लाभकारी मूल्य दे रही है। कम्पनी प्रभाविता बढ़ाकर उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने, बेहतर निरीक्षण, गुणवत्ता की जांच एवं बेहतर लॉजिस्टिक नियन्त्रण आदि के लिए काम कर रही है।

गुणवत्ता की पहल*:*

इस्तेमाल में आने वाले सभी बल्क मिल्क कूलर मूल जांच सुविधाओं तथा कच्चे दूध की गुणवत्ता की जांच के लिए सभी उपकरणों से युक्त हैं। अपने संचालन में गुणवत्ता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए कम्पनी सभी सम्बन्धित लोगों को अपना पूरा सहयोग एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें हाइजीन, जो दूध की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है पर विशेष रूप से ज़ोर दिया जाता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अपनायी जाती है। गुणवत्ता युक्त स्वच्छ दूध उत्पादन केलिए 58 प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया और 946 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

उत्पादकता वृद्धि सेवाएँ :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान श्वेतधारा एमएमपीसी ने अपने सदस्यों को 115 मीट्रिक टन पशु आहार और 1.3 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण बेचने की व्यवस्था की है। कंपनी ने राशन बैलेंसिंग कार्यक्रम के तहत 513 जानवरों को कवर किया है। 31 मार्च 2018 तक 1540 पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सेवा कंपनी द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया अपना कर उपलब्ध करायी गयी है। कंपनी ने दूध उत्पादकों की आवश्यकता अनुरूप 85 इन्फेर्टिलिटी कैंप आयोजित किये हैं । कंपनी ने डेयरी प्रबंधन कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है जिसमें 507 दूध उत्पादकों ने भाग लिया ।

प्रोड्यूसर्स इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग (पीआईबी):

श्वेतधारा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी एक स्तरीय संरचना वाली कंपनी है जिसमें हजारों महिलाएं सदस्य हैं और इसका अभिशासन उनके द्वारा चुने गए निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है । कंपनी से जुड़े सभी हितधारकों के क्षमता विकास के लिए उत्पादक संस्था निर्माण कार्यक्रम के तहत सदस्य, निदेशकों को एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कंपनी का प्रशासन बेहतर और प्रबंधन सदस्य उन्मुख होता है ।

उत्पादक संस्था निर्माण विभाग बेहतर प्रशासन और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवसाय को मजबूत करती है। पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपने खुले और पारदर्शी शासन प्रणाली और उनके संरक्षण के बराबर सदस्य इक्विटी के माध्यम से डेयरी सेक्टर के अन्य खिलाड़ियों से निर्माता कंपनी को अलग करती हैं। दूध मार्ग स्तर पर गांव स्तर और सदस्य संबंध समूह (एमआरजी) में अनौपचारिक ग्राम संपर्क समूह (वीसीजी) के गठन के लिए प्रयास किए गए हैं। ये अपने संबंधित दूध पूलिंग पॉइंट्स (एमपीपी) के प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए नियमित अंतराल पर मिलते रहे ।

पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपने खुले और पारदर्शी शासन प्रणाली और उनके संरक्षण के बराबर सदस्य इक्विटी के माध्यम से डेयरी सेक्टर के अन्य संस्थाओं से निर्माता कंपनी को अलग करती हैं।

कंपनी के मूल सिद्धान्तः

कंपनी के मूल सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया गया। व्यापार सौदे केवल सदस्यों के साथ ही सीमित थे। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता और व्यापार और शासन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान न्यूनतम शेयर पूंजीगत योगदान पूरा किया है।

सदस्य संचार और शिकायत निवारण व्यावसायिक रूप से प्रबंधित व्यापार संचालन और जल्द से जल्द व्यवहार्यता और आत्म-जीवितता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पैमाने की अर्थव्यवस्था के लिए उचित तंत्र शुरू किया जा रहा है ।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमः

सदस्यों को कंपनी से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि वे अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ सकें। समय-समय पर प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सदस्यों, भावी सदस्यों, बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों ने भाग लिया । वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं-

क्रम संख्या	प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	व्यापार और शासन रणनीति कार्यशाला	1	8
2	निदेशक मंडल के लिए एक्सपोजर विजिट	1	7
3	ग्राम स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों के लिए फील्ड स्टाफ के लिए रिफ्रेशर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	26
4	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	75	1292
5	गुणवत्ता युक्त स्वच्छ दूध उत्पादन कार्यकरम	58	946
6	ग्रामीण युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	2	39
7	ग्रामीण स्कूल-जागरूकता कार्यक्रम	5	200
8	वीसीजी अभिविन्यास कार्यक्रम	13	169
9	एमआरजी अभिविन्यास कार्यक्रम	5	58
10	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	1	17

वित्तीय वर्ष बंद होने के बाद मुख्य परिवर्तन:-

31 मार्च **2018** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के बाद कोई भौतिक / बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं ।

कारोबार के स्वभाव में बदलाव:

समीक्षारत वर्ष के दौरान कम्पनी के कारोबार के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं लाया गया।

शेयर पूंजी और सदस्यता:-

मार्च 31, को 2018, भुगतान की गई शेयर पूंजी 1923100/- रुपये थी।

मतदान अधिकार और एजीएम में उपस्थिति:-

वे दूध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की तारीख तक सदस्य थे, एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे और वो सदस्य जिसने कम से कम 200 दिनों और कम से कम 500 लिटर दूध डाला है, वोट करने के लिए पात्र होगा और उनका एक वोट होगा ।

निदेशक मंडल:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्रीमती सावित्री को कंपनी के निदेशक नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण कांत सिन्हा ने मुख्य कार्यकारी और पूर्णकालिक निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद, श्री शैलेंद्र कुमार को कंपनी के मुख्य कार्यकारी और पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। श्री श्रीराम सिंह ने विशेषज्ञ निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में , श्रीमती पूनम और श्रीमती शकुंतला देवी आगामी एजीएम में सेवानिवृत्त हो जाएंगे ।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:-

रिपोर्ट की अवधि के दौरान निदेशकों को कम्पनी के बिजनेस मॉडल पर प्रशिक्षित किया गया और उन्हें उनकी ज़िम्मेदारियों, कर्तव्यों और क्षमता निर्माण के बारे भी जागरुक बनाया गया ।
उत्तम पशु वीर्य उत्पादन की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने के लिए एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, सलोन, उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निदेशकों को ले जाया गया ।

निदेशक 'उत्तरदायित्व विवरण: -

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन:-

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के तहत निदेशक पुष्टि करते हैं किः

- सालाना खातों की तैयारी में कम्पनी द्वारा खातों के मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी अकाउन्टिंग नीतियों को अपनाया और लागू किया है जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं और 31 मार्च 2018 को कम्पनी के मामलों का सही एवं निष्पक्ष विवरण प्रदान करती हैं और इस अवधि के लिए कम्पनी के खातों का स्पष्ट विवरण देती हैं।
- निदेशकों ने कम्पनी की सम्पत्तियों को सुरक्षित रखने तथा इसे किसी भी तरह की धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमतताओं से बचाने के लिए इस अधिनियम के अनुसार लेखा रिकॉर्ड्स का उचित रखरखाव एवं देखभाल की है; और
- निदेशकों ने मौजूदा नियमों के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए हैं।

लेखा परीक्षकों की: -

कम्पनी के अंकेक्षक मैसर्स मैसर्स अजय गोयल एंड कं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत हो रहे हैं और अगर उन्हें पुनः नियुक्त किया जाता है तो उन्होंने कार्यालय का कार्यभार संभालने के लिए योग्यता एवं इच्छा की पुष्टि की है।
निदेशक मंडल ने मैसर्स अजय गोयल एंड कं, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आगामी वार्षिक आम सभा में कम्पनी को फिर से अंकेक्षक नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा:-

कम्पनी के पास उचित एवं उपयुक्त आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली है जो सुनिश्चित करती है कि सभी सम्पत्तियों को सुरक्षित रखा जाए और सभी लेनदेन अधिकृत हों एवं ठीक से दर्ज किए जाएं। खातों का आंतरिक लेखापरीक्षण नियमित रूप से चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की फर्म मैसर्स रे एण्ड रे, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षक स्वतन्त्र रूप से आंतरिक नियन्त्रण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और लेखापरीक्षण करते हैं।

मानव संसाधन:-

लोग संपत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व और टीम के काम की भावना ने कंपनी को विकास हासिल करने में सक्षम बनाया है। कंपनी ने हमेशा सकारात्मक, सहायक, खुली और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण प्रदान करने का प्रयास किया है जहां नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन पहचाना जाता है और कर्मचारियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कंपनी के विजन, मिशन और वैल्यूज को कंपनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के (वीएमवी) लिए संगठन के सभी स्तरों पर सच्चे पत्र और भावना में पालन किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी:-

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के विभिन्न कार्यों को समर्थन प्रदान करती है और सिस्टम को व्यवस्थित करने और ऑनलाइन बनाने में सहायता करती है। आईटी का मुख्य फोकस संचालन में दक्षता में सुधार, सूचित निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां प्रदान करना है।

हमारी कंपनी में आईटी हस्तक्षेप सिस्टम सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहे हैं।

कर्मचारियों का विवरण:-

रिपोर्ट के तहत साल के दौरान कम्पनी अनिधियम 1956 के अनुसार कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सीमा के बराबर या अधिक मेहनताना प्राप्त नहीं हुआ।

सुरक्षा और स्वास्थ्य:-

कम्पनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद कार्यस्थल प्रदान करती है। यहां हमेशा कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप से दूध के साथ काम करने वाले कर्मचारियों पर हम खास ध्यान देते हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी सम्बन्ध और विदेशी मुद्रा आय और व्यय - :

कम्पनी दूध एवं दूध उत्पादों के कारोबार में है। हालांकि कम्पनी ने उर्जा संरक्षण के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए हैं और इस दिशा में प्रगति के लिए संवेदनशील है। प्रशासन एवं कार्यालय गतिविधियों का संचालन इस तरह से किया जाता है कि जहां तक हो सके उर्जा की ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जाए। इसके अलावा कम्पनी की कारोबारी गतिविधियों मेंं किसी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा साल के दौरान विदेशी विनिमय के कारण आय और व्यय शून्य है।

बोर्ड बैठकों:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की 4 (4) बैठकों को विधिवत बुलाया गया और 29 .06.17, 03.08.2017, 02.11.2017, 20.02.2018 को आयोजित किया गया।

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदनः-

अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रासंगिक और व्याख्यात्मक हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

अभिस्वीकृति- :

निदेशक मंडल कम्पनी के सदस्यों, उत्तर प्रदेश सरकार, बिजनेस एसोसिएट्स एवं बैंकरों को साल के दौरान सहयोग एवं योगदान के लिए धन्यवाद देता है।
निदेशक मंडल धानी फाउन्डेशन एवं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ के प्रति भी आभारी है जिसने अपना सतत सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया है।
बोर्ड अपने सभी कर्मचारियों के सहयोग, समर्पण एवं कड़ी मेहनत के लिए उनका आभारी है, जिनके सहयोग के बिना कम्पनी का इतना समग्र विकास सम्भव नहीं था।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

दिनांक: 20.06.2018 राज कुमारी
स्थान: प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश

अध्यक्ष

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

श्वेतधारा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने **श्वेतधारा महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड ("कंपनी")**के अनुलग्नित वित्तीय विवरणों, जिसमें समेकित 31 मार्च 2018 तक के बैलेन्स शीट, और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश का परीक्षण किया|

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिंमेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबन्धित विषयों के लिए उत्तरदायी हैं जिससे कि भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा अधिनियम के धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के अनुरूप एवं कंपनी (लेखा) नियम , 2014 के नियम 7 के अनुसार, कंपनी के वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन के एक सच्चे और निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है | इस जिंमेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयोग; निर्णय और अनुमान है जो उचित और विवेकपूर्ण हों; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यांवयन और संरक्षण भी शामिल है , जो कि उचित ढंग से कार्यरत हों , जिससे कि लेखा विवरणों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित की जा सके ताकि लेखा के सबंधित विवरण की प्रस्तुति प्रासंगिक, सत्य और निष्पक्ष एवं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए गलतबयानों से मुक्त रखे जा सकें|

आडिटर की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने की है । हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और अंकेक्षण मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जो अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक हैं| हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है । उन मानकों की आवश्यकता है कि हम उन नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और लेखा परीक्षा के द्वारा यह समुचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण किसी भी त्रुटि या गलत जानकारी से मुक्त रहे|

ऑडिट में वित्तीय विवरणों में राशियां और जानकारी के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना भी शामिल है| चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय, वित्तीय विवरण के धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत जानकारी की स्थिति के जोखिम के आकलन, पर निर्भर करती है| उन जोखिमों का आकलन बनाने में, लेखा विवरणों को सत्य एवं समुचित दृष्टि देने के लिए उपयोग में लाये गए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, को भी लेखा परीक्षक ध्यान में रखता है जिससे उचित एवं प्रासंगिक प्रक्रिया अपनाई जा सके | एक लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की युक्तियुक्तता के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है ।

हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए है वे पर्याप्त हैं तथा वित्तीय बयान पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है ।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को उचित तरीके से प्रदर्शित करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2018 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके शून्य लाभ / हानि एक वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं|

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2013 ("आदेश") इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं , यथानुसार कंपनी उपरोक्त आदेश के खण्ड 1 (2) (v) के शर्तों को पूरा करता है ।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं कि :
    a. हमने हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुरूप, लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण को मांगा और प्रपट किया |
    b. हमारी राय में, और हमारी परीक्षा के अनुरूप कंपनी कानून द्वारा अपेक्षित रूप में लेखा पुस्तकों रखा गया है |
    c. बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण इस रिपोर्ट में परीक्षित लेखा खातों के साथ अनुरूप है|
    d. हमारी राय में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करती है|

e. 31 मार्च, 2018 को निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, निदेशकों में से किसी को भी 31 मार्च, 2018 को अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया जाता है ।.

f. भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.06.2017 के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के उपबंध, 2013 वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्त सूचना देने के संबंध में कंपनी और इस तरह के नियंत्रण के परिचालन प्रभावशीलता कंपनी के लिए लागू नहीं है|

g. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में और हमारे श्रेष्ठ जानकारी और हमारे द्वारा प्राप्त किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

   i. कंपनी के पास कोई लंबित अभियोग नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालेगा । -वित्तीय विवरण के लिए नोट 26 देखें.

   ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई घाटा हुआ हो.

   iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित की जानी आवश्यक नहीं थी|

ए के गोएल
सदस्यता संख्या *: 071257*
पार्टनर
की ओर से
अजय गोएल एंड कंपनी .
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ आर एन *: 02107C*
तिथि : 20 जून 2018